न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 143/2022 (2022/564)

1. किशोर पुत्र प्रहलाद खटीक निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. धनराज माली पुत्र भंवरलाल माली निवासी माली मोहल्ला केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार केकड़ी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—
श्री नीरज जैन :— अधिवक्ता प्रार्थी
पेराकार सरकार :— जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 19.05.2023

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थनापत्र में आराजीयात वाके ग्राम/कस्बा केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
339—1729	9609/7205	0.09	चाही 2
	कुल किता 1	**कुल रकबा 0.09 हैक्टर**	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी की खरीदशुदा खातेदारी की आराजीयात है जो कि प्रार्थी के कब्जे काश्त स्वामित्व में चली आ रही हैं, प्रार्थी काश्त कर पैदावार प्राप्त करता चला आ रहा है एवं प्रार्थी के अलावा किसी अन्य का कोई हक, हिस्सा व अधिकार नही है। प्रार्थी काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता है जिसका फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 1 अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर प्रार्थी को कमजोर समझकर आराजीयात पर जबरन कब्जा करने व फसल को नष्ट भ्रष्ट करने व मेड को तोडने पर उतारू रहते है व मना करने पर मारने पीटने व लडाई झगडा करने पर उतारू रहते है। दिनांक 08.07.2022 को प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी पर गया तो देखा कि अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य उसके साथियों ने प्रार्थी की खातेदारी की आराजी पर डोल डालकर कब्जा करने के उद्देश्य से प्रार्थी के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। मना करने पर लडाई झगडा कर प्रार्थी को वहां से भगा दिया। प्रार्थी द्वारा कब्जा लेने के लिए पुलिस थाना केकड़ी में सूचना देने पर भी अप्रार्थी संख्या 1 के खिलाफ कोई कार्यवाही नही हुई, जिससे यह प्रार्थनापत्र पेश करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 व उसके साथियों से कब्जा छुडवाकर मय पुलिस प्रशासन के प्रार्थी को कब्जा दिलाये जाने यानि पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराने व अप्रार्थी संख्या 1 व उसके साथियों को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 धनराज ने स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नही होना जाहिर कर आदेशिका में नोट अंकित किया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी द्वारा जवाब सरकार की टिप्पणी अंकित की गई जिसके अनुसार प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी खातेदारी में दर्ज है, राजहित प्रभावित नही होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया प्रार्थी, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है एवं खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है तथा साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 श्री धनराज द्वारा पत्रावली में पत्थरगढी किये जाने पर अनापत्ति जाहिर की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम/कस्बा केकड़ी तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया—पुराना 339—1762 में दर्ज खसरा नम्बर 9609/7205 रकबा 0.09 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी